प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1597/2007

जगदेव सिंह

बनाम

- छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

आदेश

दिनांक 02.04.2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1597/2007

याचिकाकर्ता जगदेव सिंह, पिता—दरबार सिंह, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी—संतोष ढाबा, ग्राम जाली, कटघोरा रोड, तहसील सिटी, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

2. नायब तहसीलदार, रतनपुर, जिला बिलासपुर।

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से मिस सोफिया खान, अधिवक्ता ।

राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से श्री उत्कर्ष वर्मा,शासकीय अधिवक्ता,।

.....

आदेश

(दिनांक 2 अप्रैल, 2007 को पारित)

इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांक 9-2-2007 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उसे सात दिनों की अवधि के भीतर अतिक्रमण हटाने तथा शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के लिए 1,500/- रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया था, तथा दिनांक 19-2-2007 के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को शासकीय भूमि से बेदखल करने हेतु वारंट जारी किया गया।

2. निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने शासकीय भूमि, खसरा क्रमांक 6/1, कुल रकबा 74.39 हेक्टेयर, में से 0.50 एकड़ भूमि पर, पटवारी हल्का क्रमांक 19, राजस्व वृत्त कोटा, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर में, अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा था। उक्त अनधिकृत कब्जे के संबंध में राजस्व अधिकारियों द्वारा शिकायत किए जाने पर दिनांक 2-2-2007 को नोटिस जारी किया गया, जो 6-2-2007 को प्रत्यावर्तनीय था। याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ और 9-2-2007 तक का समय मांगा। दिनांक 9-2-2007 को नायब तहसीलदार, रतनपुर, जिला बिलासपुर (उत्तरवादी क्रमांक 2) ने समस्त राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करने एवं याचिकाकर्ता को सुनने के पश्चात यह पाया कि याचिकाकर्ता शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जे में है। तदनुसार, छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में "संहिता, 1959") की धारा 248 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि को सात दिनों के भीतर खाली करने तथा 1,500/- रुपये की राशि दंडस्वरूप अदा करने का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 9-2-2007 के आदेश का पालन न करने पर, उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा दिनांक 19-2-2007 को बेदखली हेतु वारंट जारी किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उक्त आदेशों से आक्रोशित एवं असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत यह याचिका मुख्यतः इस आधार पर दायर की कि उत्तरवादी क्रमांक 2 को छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार-क्षेत्र नहीं है। याचिकाकर्ता ने गुण-दोष के आधार पर भी कुछ अन्य तर्क हल्के रूप से प्रस्तुत किए।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुनने तथा विधि के प्रावधानों, अभिवचनों एवं संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग नायब तहसीलदार द्वारा भी छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है—

> "24. **राज्य शासन द्वारा राजस्व पदाधिकारियों की शक्तियों का पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदान किया जाना** (1) राज्य

शासन इस संहिता द्वारा या इसके अधीन किसी राजस्व पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकेगा ।

(2) राज्य शासन, इस संहिता द्वारा उच्चतम श्रेणी के राजस्व पदाधिकारी को दी गई शक्तियाँ किसी असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार यायब तहसीलदार को प्रदान कर सकेगा ।"

धारा 24 की उपधारा (2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार किसी सहायक कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार को उच्च श्रेणी के राजस्व अधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ प्रदान कर सकती है।

5. संहिता, 1959 की धारा 248 निम्नानुसार है—

"248. अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिये शास्ति (1) कोई भी व्यक्ति, जो कि अप्राधिकृत रूप से दखल रहित भूमि, आबादी, सेवा भूमि या किसी ऐसी भूमि पर, जो धारा 237 के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के लिये पृथक् रखी गई हो, या किसी ऐसी भूमि पर जो शासन की या राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या स्थापित संस्था या किसी प्राधिकारी, निगमित निकाय की सत्पत्ति हो, कब्जा कर लेते हैं या उस पर कब्जा बनाये रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्तत : बेदखल किया जा सकेगा और कोई भी फसल जो कि भूमि पर खड़ी हो तथा कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य, जो उसने उस पर निर्मित किया हो, यदि ऐसे समय के भीतर, जैसा कि तहसीलदार नियत करे, उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो अधिहरित किया जा सकेगा। इस प्रकार अधिहरित की गई किसी भी सम्पत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जायेगा और किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने का तथा भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्चा उनके भू-राजस्व की बकाया की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भांति वसूली योग्य होगा। ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के विवेकानुसार, अप्राधिकृत दखल की कालावधि के लिये भूमि का लगान उस स्थान में ऐसी भूमि के लिये स्वीकार्य दर की दुगुनी दर से चुकाने के तथा ऐसे जुर्माने के, जो ऐसी अधिक्रमित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत रूपये तक हो सकता है, तथा ऐसे और जुर्माने के, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसको ऐसा अप्राधिकृत दखल या कब्जा प्रथम बेदखली के दिनांक के पश्चात् चालू रहे, गैर नगरीय क्षेत्रों में पांच सौ रूपये और नगरीय क्षेत्रों में दो हजार रूपये तक हो सकता है, लिये भी दायित्वाधीन होगा। तहसीलदार सम्पूर्ण जुर्माना या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिये उपयोग में ला सकेगा जिन्हें उसकी राय में अधिक्रमण से हानि या क्षति हुई हो"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

(2) तहसीलदार को एक हजार पाँच सौ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु यदि किसी प्रकरण में वह यह विचार करता है कि परिस्थितियाँ अधिक जुर्माना लगाने की अपेक्षा करती हैं, तो वह मामले को उप-विभागीय अधिकारी के पास संदर्भित कर सकता है, जो संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् जुर्माने के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा।

(2-क) (2-क) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता हो, उपखंड

अधिकारी उस व्यक्ति को पकड़वायेगा और उसे प्रथम बेदखली की दशा में पन्द्रह दिन की कालावधि के लिये तथा दूसरी या पश्चात्वर्ती वेदखली की दशा में तीन माह की कालावधि के लिये सिविल कारागार में परिरूद्ध किये जाने के लिये वारंट के साथ भेजेगा :"

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही—

(एक) तब तक नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी सूचना जारी न की गई हो जिसमें कि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये दिन उपखंड अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो तथा यह कारण दर्शाये कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाय;

(दो) ऐसी सरकारी तथा नजूल भूमियों पर किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में नहीं की जायेगी जिनके कि बन्दोबस्त के लिये सरकार ने समय-समय पर आदेश जारी किये हों :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु, यह और भी कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारंट में वर्णित कालावधि का अवसान होने के पूर्व भी निरोध से निर्मुक्त किये जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ा जा चुका है:

परन्तु यह भी कि कोई स्त्री इस उपधारा के अधीन गिरफ्तार या निरूद्ध नहीं की जायेगी ।

(2-ख) राज्य सरकार उपधारा (2-क) के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश किसी व्यक्ति को सिविल न्यायालय में अपने अधिकार स्थापित करने से वंचित नहीं करेगा।

छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के अंतर्गत तहसीलदार संक्षेप रूप से बेदखली का आदेश पारित कर सकता है तथा 1,500/- रुपये तक का दंड भी अधिरोपित कर सकता है। यदि दंड की राशि 1,500/- रुपये से अधिक हो, तो उप-विभागीय अधिकारी उक्त आदेश पारित करने के लिए सक्षम होता है।

6. राज्य शासन ने संहिता, 1959 की धारा 24 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अधिसूचना क्रमांक 1170-1345-VII-NI, दिनांक 11-3-1972 (एम.पी. राजपत्र, भाग-1, दिनांक 12-5-1972, पृष्ठ 548 में प्रकाशित) द्वारा सभी पुष्ट नायब तहसीलदारों तथा ऐसे अन्य नायब तहसीलदारों, जिन्होंने दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और सभी निर्धारित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली हैं, को तहसीलदार की शक्तियाँ प्रदान की हैं। अतः नायब तहसीलदार को संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। तदनुसार यह धारित किया जाता है कि नायब तहसीलदार (उत्तरवादी क्रमांक 2) धारा 248 के अंतर्गत तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु पूर्णतः सक्षम है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता का अगला तर्क, गुण-दोष के आधार पर, यह है कि धारा 248(1) के अंतर्गत संक्षेप आदेश पारित करने से पूर्व सभी सुसंगत दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना तथा याचिकाकर्ता को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता—यह तर्क निराधार है, क्योंकि आदेश से ही स्पष्ट है कि दिनांक 9-2-2007 का आक्षेपित आदेश समस्त अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात पारित किया गया था, और धारा 248 के प्रावधान स्वयं शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जे से संक्षेप बेदखली का प्रावधान करते हैं।

8. अन्यथा भी, यदि याचिकाकर्ता नायब तहसीलदार के निष्कर्षों से असंतुष्ट है, तो वह धारा 248 की उपधारा (3) के अंतर्गत उपलब्ध विधिक उपायों का सहारा ले सकता है। यह न्यायालय स्वामित्व या अधिकार-शीर्षक के संबंध में तथ्यात्मक विवादों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि इसके लिए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का प्रस्तुतीकरण तथा उनका मूल्यांकन आवश्यक है।

9. याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि वह उसके लिए उपलब्ध अन्य वैधानिक उपायों का सहारा ले।

10. उपर्युक्त कारणों के आलोक में, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**